...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 99/2020

केलाबाई पत्नि स्व. श्री रामकरण जाति मीना निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल

.......वादनी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादनी : श्री वीरेन्द्र सिंह

दायरा दिनांक: 14.10.2020 निर्णय दिनांक : 18.11.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 04 खसरा नं0 128 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 129 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 134 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 135 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 144 रकबा 1.43 है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 183 रकबा 1.64 है0, खसरा नं0 184 रकबा 1.58 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 6.69 है0 वाके ग्राम श्रीनाल चक तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी के पति का नाम रामकरण पुत्र सरवण के स्थान पर करणा पुत्र सरवण दर्ज हो रहा है। जबकि वास्तविक नाम रामकरण पुत्र सरवण है। जिसको वादनी करणा पुत्र सरवण के स्थान पर रामकरण पुत्र सरवण दुरूस्त करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादनी के पति का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र आदि में रामकरण पुत्र सरवण दर्ज हो रहा है। इसलिए राजस्व रेकार्ड में करणा पुत्र सरवण के स्थान पर रामकरण पुत्र सरवण दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादनी के पति का नाम करणा पुत्र सरवण के स्थान रामकरण पुत्र सरवण दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकाड़ में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से केम्प में प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 के अनुसार करणा पुत्र सरवण जाति मीना को रामकरण पुत्र सरवण जाति मीना के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति करणा पुत्र सरवण जाति मीना व रामकरण पुत्र सरवण जाति मीना एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम करणा पुत्र सरवण के स्थान पर करणा उर्फ रामकरण पुत्र सरवण सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादनी स्वयं, निसार मोहम्मद पुत्र मोडूलाल जाति मुसलमान निवासी घूमरखेडी के आधार पर आराजी खाता संख्या 04 खसरा नं0 128 रकबा 0.51 है0, खसरा

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

29 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 134 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 135 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 144 रकबा 1.43 है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 183 रकबा 1.64 है0, खसरा नं0 184 रकबा 1.58 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 6.69 है0 वाके ग्राम श्रीनाल चक तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी के पति का नाम करणा पुत्र सरवण के स्थान पर करणा उर्फ रामकरण पुत्र सरवण दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादनी के पति के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगी। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प तिसाया मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner